

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश  
भोपाल 462004

क्रमांक 98/आउशि/अनु.ब./21  
प्रति,

भोपाल दिनांक 28/6 /2021

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित  
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय  
म.प्र.( कॉलम 04 के अनुसार)
2. अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय  
म.प्र..( कॉलम 02 के अनुसार)

विषय:- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को वेतन भत्तों के लिये राशि आवंटन - वित्तीय वर्ष 2021-22।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न लिखित महाविद्यालयों से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार वेतन भत्ते हेतु माह march Paid in april 2021 to August paid in September 2021 तक 06 माह के वेतन भत्ते हेतु उनके नाम के समक्ष कॉलम - 3 में उल्लेख अनुसार राशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स.क.	महाविद्यालय का नाम	बजट आवंटन 06 माह के लिये प्रस्तावित राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड
1	2	3	4
1	ज्ञानमंदिर महाविद्यालय नीमच	6,19,920 58,622	
2	जे.आर.कीमती कन्या महाविद्यालय रामपुरा जिला नीमच	25,31,004	शास. पीजी महावि. नीमच 2703802001
		32,09,546	
3	ऋषीश्वर महाविद्यालय फूप भिण्ड	4,44,552	शास. एम.जे.एस. महावि. भिण्ड 0403802001
		4,44,552	
4	नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर	40,61,970	शास. महाकौशल पी.जी. महावि. जबलपुर 1803802002
		40,61,970	
		77,16,068	

(रूपये सतहत्तर लाख सोलह हजार अडसठ मात्र)

1. शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।
2. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन- भत्तों के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक का आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। पूर्व वर्षों में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें।

4. अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही शत प्रतिशत शिक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा करायी जानी होगी।
5. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।
6. आवंटित राशि का व्यय बजट शीर्ष 44-2202-03-104-3444-0101-42-002 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
7. राशि उपलब्ध होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आवंटित की जावेगी।
8. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था की होगी।
9. गत वर्ष 2020-21 में जारी की गई आवंटन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा अधिकारी संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान / अग्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
10. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को वेतन का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।

(चंद्रशेखर वालिम्बे)

o/c आयुक्त  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 28/6 /2021

क्रमांक 98/अनु.ब./आउशि/21  
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ.( आई.टी.सेल) उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।

o/c  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।